

किये
वनों के
न हेतु
तिभाग
करते
धारित
उनकी
प्रार पर

विशेष क
17-06-20^{stem})
अपने आहारिक
का समाय 25 के
17-06-20
अनिवार्य
संशोधित

उ
दिनांक-20
प्रदान किय
अधीनस्थ and
द्विस्तरीय प

1- 3

अ
PET)-20
आयोग द्वा

2- प्रथवा

2.1- ने हेतु

व
द्व आने

2.2- उ

2या है-

वम्बन्ध

प्रोर्ड या

सरकार,

प

2006,

दिनांक-

नियम

200-

मे रु0

b- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना (Uploading Photo and Signature)-

अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए-

- I- चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/ छाया नहीं होनी चाहिए।
- II- ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो।
- III- चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हो।
- IV- चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए।
- V- कैमरे पर नजर सीधी हो।
- VI- अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखें खुली, मुँह बन्द)।
- VII- सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- VIII- फोटो का आकार 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये। जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो।
- IX- फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ उपर्युक्त निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी फाइल का आकार 50 Kb से कम तथा 100 Kb से अधिक न हो। अभ्यर्थी अपना रंगीन फोटोग्राफ jpeg., jpg. प्रारूप में स्कैन कर अपलोड करेंगे।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (हिन्दी/ अंग्रेजी में) निर्धारित मानक (3.5 से.मी. चौड़ा तथा 1.5 से.मी. लम्बा) के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी jpeg., jpg. प्रारूप में फाइल का आकार 30 Kb से कम तथा 50 Kb से अधिक न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के CAPITAL LETTERS में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिन्दी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे।

नोट- अभ्यर्थी द्वारा 06 माह से पूर्व का फोटोग्राफ/गलत फोटोग्राफ/ अस्पष्ट फोटोग्राफ तथा त्रुटिपूर्ण हस्ताक्षर की फाइल अपलोड करने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद “Continue” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

c- फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling in Remaining Part of the Form)-

इस भाग में अभ्यर्थी को अपना स्थायी पता व पत्र व्यवहार का पता इत्यादि सम्बन्धी विवरण को भी भरना होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को अपने आवेदन के सम्बन्ध में की जाने वाली एक घोषणा (Declaration) से भी सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हों तो Yes का चयन करें, घोषणा से असहमत होने की दशा में फॉर्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। अभ्यर्थी यदि अंकित प्रविष्टियों में कोई संशोधन चाहते हैं तो “बैक” बटन को क्लिक कर अंकित प्रविष्टियों को संशोधित भी कर सकते हैं।

जब अभ्यर्थी आवेदन की अंकित प्रविष्टियों की शुद्धता के विषय में सन्तुष्ट हो जायें तो ‘सबमिट’ बटन को क्लिक करेंगे।

Bindu

9

X

नोट- सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपनी आरक्षण श्रेणी को सावधानीपूर्वक सही-सही भरें। अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिवश अपनी आरक्षण श्रेणी गलत भरी जाती है व तदनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उसे परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी व उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी श्रेणी गलत भर दी है तो वह इस चरण में परीक्षा शुल्क जमा करने के पूर्व अपनी श्रेणी में बदलाव कर सकता है।

d- शुल्क का भुगतान एवं समायोजन तथा आवेदन पत्र सबमिट करना (Fee Payment and Reconciliation & Submission of Application Form)-

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान **Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI या SBI** के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। भुगतान सफलता पूर्वक होते ही अभ्यर्थी का भरा हुआ आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने इस आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

II- कृपया ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलता पूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सका है। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी **प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025** के रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करने के उपरान्त अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

III- शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन पत्र के स्थान पर **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर **प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025** के रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। शुल्क का सफल भुगतान होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

IV- ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

V- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे **प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025** के आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

VI- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पा रहा है तो वह शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए विकल्प “Update Your Transaction ID by Double Verification” पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं Verify Transaction ID बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए Application Fee Deposition विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

VII- कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट कर सकेंगे। अन्तिम तिथि के पश्चात इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

VIII- आवेदन शुल्क –

ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है-

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क)
1	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
3	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
4	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
5	दिव्यांगजन हेतु	-----	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

e- फार्म का प्रिंटआउट लेना (Taking Printout of Application Form)-

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित तिथि तक आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध Know Your Status सेगमेंट के अंतर्गत Print Detailed Application Form विकल्प पर जाकर अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के Homepage पर उपलब्ध Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए विकल्प “Update Your Transaction ID by Double Verification” पर जाकर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।







6- आवेदन पत्र में संशोधन-

- I- अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन पत्र को सबमिट करने के उपरान्त अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Home Page** पर उपलब्ध **Modify Submitted Application** पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत Login करेंगे तत्पश्चात उनके पंजीकृत Mobile Number / Email पर एक OTP (One Time password) प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा OTP को प्रविष्ट करने के उपरान्त ही सबमिट आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को अपने पंजीकृत Mobile Number, Email में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी परन्तु वह अपने आवेदन पत्र के किसी भी अन्य विवरण में संशोधन कर सकता है।
- II- आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 24-06-2025 तक ही आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से ही अनुमन्य है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन/ ऑनलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7- शैक्षिक अर्हता-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गयी है, वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न-भिन्न प्रकार के संगत पदों के अध्याचन एवं सेवानियमावली में अर्हता के सम्बन्ध में विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किये जाते हैं। इन विज्ञापनों के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी, जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test- PET) में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो, के द्वारा ही मुख्य परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है तथा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के धनात्मक स्कोर की मेरिट के आधार पर शार्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों को ही विज्ञापन के अनुसार आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

8- आयु सीमा-

- 8.1- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में आवेदन करने हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।
- 8.2- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर जारी अधिनियम/शासनादेशों के अनुसार आरक्षित/विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2025 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 2008 के



अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-2-ई.एम./2001-का-4-2013, दिनांक 27-08- 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

- 8.3- ऐसे अभ्यर्थी, जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु-सीमा पूर्ण कर चुके हैं परन्तु विभाग की संगत सेवानियमावली/ शासनादेशों/ मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में अधिकतम आयु-सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन में तदनुसार पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। यदि मुख्य परीक्षा, अभिलेख परीक्षण अथवा चयन के स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत विवरण/ सूचना के आधार पर आवेदन किया गया है तो उस दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ चयन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
- 8.4- यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं को धारित करने मात्र से इसके आधार पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने अथवा चयन हेतु विचार किये जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले विज्ञापनों व उनसे सम्बन्धित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम/ अधिकतम आयु-सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अध्याचन, संगत सेवानियमावली एवं विज्ञापन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। [Rojgar Result RojgarResult.Com](http://RojgarResult.RojgarResult.Com)

9- आरक्षण-

आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान अधिनियम/ शासनादेश एवं सेवानियमावलियों के अनुसार लम्बवत आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तथा क्षैतिज आरक्षण (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा महिला) अनुमन्य होगा।

10- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

11- लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट-

यदि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली (Shift)/ दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/ दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/ दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के नार्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में, आयोग की सूचना संख्या-42/05/विज्ञा० अनु०(ग्यारह)/2019, दिनांक- 22 मई, 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12- परीक्षा का कार्यक्रम-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यथासमय आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।

(Signature)

9

(Signature)

13- स्कोर की वैधता अवधि-

उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-316/47-का-3-2025, दिनांक 28-04-2025 के क्रम में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि से 03 वर्ष तक प्रभावी होंगे।

14- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 14.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 14.02- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 14.03- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 14.04- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 14.05- आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 14.06- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 14.07- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्रुत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 14.08- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 14.09- कदाशयता अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 14.10- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित समस्त सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 14.11- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करें जब वह संतुष्ट हो जायें कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 14.12- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

(Signature)

5

- 14.13- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 14.14- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 14.15- ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी वांछित सूचनायें सावधानीपूर्वक सही-सही भरें और गलत फोटो अपलोड न करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम मानी जायेंगी व उनके आधार पर ही अभ्यर्थियों की विभिन्न मुख्य परीक्षाओं हेतु शार्टलिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जाएगी। अतः यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में कोई त्रुटि अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर लें। इस संबंध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा गलत / त्रुटिपूर्ण विवरण भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 14.16- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।
- 14.17- आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास (परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने सम्बन्धी प्रयत्न/अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा के किसी भी चरण में प्रतिरूपण Impersonation सम्बन्धी प्रकरणों सहित) जो कि भारतीय न्याय संहिता अथवा भारत सरकार एवं 30 प्र0 शासन द्वारा प्रख्यापित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है) व अन्य अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित भी किया जा सकता है।

(Signature)

9


सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2025 का परिशिष्ट-1

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET)
का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम

प्रश्नों की संख्या-100

परीक्षा की अवधि-2 घण्टा
पूर्णांक-100

क्र.सं.	विषय	अंक
1	भारतीय इतिहास: (Indian History): ● सिन्धु घाटी की सभ्यता ● वैदिक संस्कृति ● बौद्ध धर्म: गौतम बुद्ध (जीवनी एवं शिक्षायें) ● जैन धर्म: महावीर (जीवनी एवं शिक्षायें) ● मौर्य वंश: सम्राट अशोक ● गुप्त वंश: समुद्र गुप्त, चन्द्र गुप्त द्वितीय ● हर्षवर्द्धन ● राजपूत काल ● सल्तनत काल ● मुगल साम्राज्य ● मराठा ● ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ● ब्रिटिश राज का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	05
2	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन: (Indian National Movement): ● स्वाधीनता आन्दोलन के प्रारम्भिक वर्ष ● स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन: महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका ● क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय ● विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935 ● भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	05
3	भूगोल: (Geography): ● भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल ○ नदियां तथा नदियों की घाटी ○ भूजल संसाधन ○ पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद ○ मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र ○ वन ○ खनिज संसाधन (विशेषकर भारत में) ● भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल ● जलवायु तथा मौसम ● टाइम जोन ● जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास	05







4	भारतीय अर्थव्यवस्था: (Indian Economy): ● भारतीय अर्थव्यवस्था(1947 से 1991 तक) ○ योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनायें ○ मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास: निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र ○ हरित क्रांति ○ दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड ○ बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार ● वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था ● वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार ○ कृषि सुधार ○ ढांचागत सुधार ○ श्रम-सुधार ○ आर्थिक सुधार ○ जी0एस0टी0	05
5	भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन (Indian Constitution & Public Administration): ● भारतीय संविधान ○ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें ○ राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ○ मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य ○ संसदीय प्रणाली ○ संघीय प्रणाली, संघ एवं केन्द्रशासित प्रदेश, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध ○ न्यायिक ढांचा-सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ● जिला प्रशासन ● स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थायें	05
6	सामान्य विज्ञान (General Science): ● प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान ● प्रारम्भिक रसायन विज्ञान ● प्रारम्भिक जीव विज्ञान	05
7	प्रारम्भिक अंकगणित (Elementary Arithmetic): ● पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव ● प्रतिशतता ● साधारण अंकगणितीय समीकरण ● वर्ग एवं वर्गमूल ● घातांक एवं घात ● औसत	05

Shiv

9

X

8	सामान्य हिन्दी: (General Hindi): ● संधि ● विलोम शब्द ● पर्यायवाची शब्द ● वाक्यांशों के लिए एक शब्द ● लिंग ● समश्रुत भिन्नार्थक शब्द ● मुहावरे- लोकोक्तियाँ ● सामान्य अशुद्धियाँ ● लेखक और रचनाएँ (गद्य एवं पद्य)	05
9	सामान्य अंग्रेजी (General English): ● अंग्रेजी व्याकरण ● अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न	05
10	तर्क एवं तर्कशक्ति: (Logic & Reasoning): ● वृहत एवं लघु ● क्रम एवं रैंकिंग ● संबंध ● समूह से भिन्न को अलग करना ● कैलेंडर एवं घड़ी ● कारण और प्रभाव ● कोडिंग-डिकोडिंग (संख्या तथा अक्षर) ● निगमनात्मक तर्क/कथन विश्लेषण एवं निर्णय	05
11	सामयिकी (Current Affairs): ● भारतीय एवं वैश्विक	10
12	सामान्य जागरूकता (General Awareness) ● भारत के पड़ोसी देश ● देश, राजधानी एवं मुद्रा ● भारत के राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश ● भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद ● राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस ● विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय ● भारतीय पर्यटन स्थल ● भारत की कला एवं संस्कृति ● भारत एवं विश्व के खेल	10

(Signature)

18

	● भारतीय अनुसंधान संगठन ● प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक ● पुरस्कार एवं विजेता ● जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण	
13	अपठित हिन्दी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण-02 गद्यांश (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10
14	ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 ग्राफ (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10
15	तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 तालिकाएं (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10

शर्तें-

- 1- क्रमांक-01 से 09 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर (Difficulty Level) राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद (NCERT) द्वारा निर्धारित सेकेन्ड्री/ सीनियर सेकेन्ड्री स्तर का होगा।
- 2- परीक्षा का प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा।
- 3- प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $\frac{1}{4}$ अंक की कटौती की जाएगी।

(Signature)

8

✓